रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 नवम्बर, 1985/11 कार्तिक, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 सितम्बर, 1985

संख्या योजना (ए) 3-5/80.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग में उप-निदेशक योजना प्रथम श्रेणी राजपत्रित के भर्ती एवम् पदोन्नति नियम इस अधिसूचना से संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सहर्ष बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ.—(क) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग के उप-निदेशक योजना (प्रथम श्रेणी राजपत्रित) के भर्ती एवम् पदोन्नति नियम, 1985 कहलायेंगे ।

(ख) ये नियम तत्काल प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम.—पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, योग्यतायें एवं भर्ती एवं पदोन्नति नियम इस अधिसूचना के परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे ।

परिशिष्ट "क"

राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश में उप-निदेशक योजना (राजपत्रित श्रेणी-I) के पद के लिए भर्ती एवम् पदोन्नति नियम

1.	पद का नाम	उप-निदेशक योजना, हिमाचल प्रदेश ।
2.	पदों की संख्या	4
3.	वेतनमान	940-30-1000-40-1200/50-1400/60-1700-75-1850
4.	वर्गीकरण	श्रेणी-I राजपत्रित ।
5.	चयन पद या अचयन पद है	प्रवरण (सलैक्शन)
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	45 वर्ष और कम ।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	अनिवार्य : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा अर्थ शास्त्र/गणित/वाणिज्य सांख्यिकी सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इसके समकक्ष/अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा । (2) सांख्यिकी अनुसंधान अथवा सांख्यिकी एकीकरण, संकलन व विश्लेषण में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव । वांछित : हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज, शिष्टाचार एवम् भाषा का ज्ञान और प्रदेश में प्रचलित विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता ।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु: नहीं । शैक्षणिक अर्हताएं : हां किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष ।
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष जिसे एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जैसे कि विशेष परिस्थितियों में लिखित कारण देकर सक्षम प्राधिकारी आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जान वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	50 प्रतिशत पदोन्नति एंव 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, परन्तु यह उपबन्धित है कि उपनिदेशों के प्रथम दो पद उन वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्तयों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सलाह से उनका औचित्य तय करने के बाद नियमित करके भरे जाएंगे जिनके पदों को उपनिदेशकों स्तर का बनाया गया था । तत्पश्चात 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती का रोस्टर लागू होगा ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	पदोन्नति द्वारा राज्य योजना तन्त्र में उन अनुसंधान अधिकारियों में से जिनका एतद्व न्यूनतम 5 वर्ष का नियमित अथवा नियमित व तदर्थ (31-12-83 तक) संयुक्त सेवा काल हो ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उस द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में होगी ।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।	जैसा कि विधि के अन्तर्गत अपेक्षित है ।
14. शिथिल करने की शक्ति	जहां पर सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना उचित और आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किन्हीं व्यक्तियों अथवा पद को किसी श्रेणी या वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है ।

फुट नोट (पाद टिप्पणी)

1. किसी सेवा से पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना चाहिए :–

   (क) भारतीय नागरिक, या

   (ख) नेपाल की प्रजा, या

   (ग) भूटान की प्रजा, या

   (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या

   (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, युगांडा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जन्जीबार), जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हो । ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सके, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जब उसे भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है ।

2. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा उस अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जो पहले सरकारी सेवा में हैं । भले ही वे तदर्थ नियुक्ति में हों अथवा कौंट्रैक्ट पर, आगे उपबन्धित है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी तदर्थ नियुक्ति अथवा कौन्ट्रैक्ट नियुक्ति के दिन निर्धारित आयु सीमा लाँघ चुका हो तो उस व्यक्ति के लिए उपरोक्त छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुदेय है ।

4. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना, आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख से की जायेगी ।

5. अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित अर्हता आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

6. जब कभी स्तम्भ 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जाएगा ।

7. सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार अवधारित किया जाएगा ।

8. उन सभी मामलों में जहां कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण (फीडर) पद में अपने कुल सेवा काल के आधार पर (जिसके अन्तर्गत तदर्थ सेवा भी है) विचार के लिए पात्र हो जाता है वहां सम्बन्धित प्रवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और उन्हें विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा :

परन्तु उन सभी पद धारियों को, जिन पर प्रोन्नति या स्थाईकरण के लिए विचार किया जाता है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा या ऐसी सेवा जो पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित की गई हो, इनमें जो भी कम हो, होनी चाहिए परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में विहित अपेक्षा के कारण प्रोन्नति या स्थाईकरण के विचार किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है वहां ऐसी प्रोन्नति या स्थाईकरण के विचार के लिए उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को भी अपात्र समझा जाएगा।

9. पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायतनिकायों में आमेलन के पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा सम्बंधी ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुदेय है। इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गए थे/किए गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् उन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये हैं।

10. उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों आदि के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।

विभागीय परीक्षा.—(I) सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1976 तथा उसमें समय समय पर होने वाले संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी अन्यथा उक्त सदस्य निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा :—

(क) आगामी देय दक्षतारोधक पार करने के लिए,
(ख) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी सेवा में स्थाई किए जाने के लिए,
(ग) अगली उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये :

उपबन्धित है कि यदि किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण या आंशिक रूप से विभागीय परीक्षा पास की हो तो उसे सम्पूर्ण या आंशिक रूप से (जैसे भी स्थिति हो) परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी को इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे इन नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी :

आगे और उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी को इन नियमों के अधिसूचित होने के पहले कोई विभागीय परीक्षा पास करना निर्धारित नहीं थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी उसे 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् इन नियमों के अधीन निम्नलिखित के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी :—

(1) अगली देय दक्षतारोधक पार करने के लिये, और
(2) परिवीक्षावधि पूर्ण होने के पश्चात् सेवा में स्थाई किये जाने के लिये।

(II) किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली हो।

(III) हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करके असाधारण परिस्थितियों में, लिपिबद्ध करके विभागीय परीक्षा नियम के अनुसार किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी, परन्तु ऐसे अधिकारी को उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक से पहले किसी अन्य उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा।

सुरेन्द्र मोहन कंवर,
आयुक्त (वित्त) एवं सचिव (योजना)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PLG(A)3-5/80 (A), dated* 28-9-1985 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th September, 1985

No. PLG(A)3-5/80(A).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of the Deputy Director (Planning) (Class-I Gazetted) in the State Planning Machinery, Planning Department, Himachal Pradesh as under:

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the State Planning Machinery, Planning Department, Class-I (Gazetted) (Deputy Director, Planning) Recruitment and Promotion Rules, 1985.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Rules.—The number of post, classification, pay-scale, qualification and method of recruitment for the post of the Deputy Director (Planning) shall be as specified in the Annexure-I to this notification.

ANNEXURE "I"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (PLANNING) CLASS-I (GAZETTED) IN THE STATE PLANNING MACHINERY, PLANNING DEPARTMENT, H. P.

1.	Name of the post	Deputy Director (Planning)
2.	Number of posts	4 (four).
3.	Scale of pay	Rs. 940-30-1000-40-1200/50-1400/60-1700-75-1850.
4	Classification	Class-I (Gazetted).
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection.
6.	Age for direct recruits	45 years and below.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits	*Essential:* (*i*) Master's Degree in Statistics or in Economics/Mathematics/Commerce with Statistics of a recognised University or its equivalent. OR Degree of a recognised University with Economics/Mathematics/Statistics followed by a 2 years post-graduate diploma in Statistics from a recognised Statistical Institute. (*ii*) At least 3 years experience in research in Statistics or in collection, analysis and interpretation of statistical data. *Desirable:* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suit-

		ability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees:	Age: No Qualification: Degree of a recognised University with Economics/ Mathematics/Statistics or its equivalent.
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced to writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/ transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	50% by promotion and 50% by direct recruitment: Provided that at the time of initial constitution of the cadre, the first two posts shall be filled by regularising the appointments of two Senior Research Officers, whose posts were upgraded as Deputy Directors, after adjudging their suitability in consultation with the H. P. Public Service Commission. Thereafter, the roster of 50%by promotion and 50% by direct recruitment will apply.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion, deputation/transfer to be made.	By promotion from amongst the Research Officers of State Planning Machinery having at least 5 years regular service or regular combined with *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service as such.
12.	If a D.P.C. exists, what is its composition	D. P. C. to be presided over by the Chairman, H.P. P.S.C or a member thereof to be nominated by him.
13.	Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Relaxation clause	Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

FOOT-NOTES

1. A candidate for appointment to any service or post must be,—
   (*a*) a citizen of India, or
   (*b*) a subject of Nepal, or

(*c*) a subject of Bhutan, or

(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India. or

(*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tenzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.

2. The upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment.

3. Upper age-limit is relaxable for scheduled castes/tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

4. Age limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed for receipt of applications by the Commission.

5. Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

6. Provisions of columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under column 2 are increased or decreased.

7. Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment, shall be made on the basis of *viva voce* test, if Commission so considers necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or a practical test.

8. In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* one upto 31-12-1983) in the feeder post, all persons senior to him in respective category shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion/confirmation shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the relevant recruitment and promotion rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion/confirmation, on account of the requirement prescribed in the preceding proviso the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/confirmation.

9. The employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous

bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autnomous bodies.

10. The appointments to the service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Schedu ed Tribes/Backward Classes issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

DEPARTMENTAL EXAMINATION

1. Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examinations Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:—

(*i*) Cross the efficiency bar next due;
(*ii*) confirmation in the service even after completion of probationery period; and
(*iii*) promotion to the next higher post:

Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination, as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purpose of, (*i*) crossing the efficiency bar next due, and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationery period.

2. An officer on promotion to a higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in lower gazetted post.

3. The Government may in consultation with the H. P. Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the Departmental Examinations Rules to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

By order,
S. M. KANWAR,
Financial Commissioner (*Fin.*)-cum-*Secretary* (*Plg.*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।